क्रम-संख्या–188

रजिस्ट्रेशन नम्बर–जी०–11/लाई०–
न्यूज पेपर/91/05–06
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, बुधवार, 18 जुलाई, 2007

आषाढ़ 27, 1929 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग-1

संख्या 1292/79-वि-1-07-1(क) 30-2007

लखनऊ, 18 जुलाई, 2007

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश क्रीड़ा (संघों का रजिस्ट्रीकरण, मान्यता और विनियमन) (निरसन) विधेयक, 2007 पर दिनांक 17 जुलाई, 2007 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 14 सन् 2007 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिनियम द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

उत्तर प्रदेश क्रीड़ा (संघों का रजिस्ट्रीकरण, मान्यता और विनियमन) (निरसन) अधिनियम, 2007

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 14 सन् 2007)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश क्रीड़ा (संघों का रजिस्ट्रीकरण, मान्यता और विनियमन) अधिनियम, 2005 को निरसित करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के अठावनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1–(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश क्रीड़ा (संघों का रजिस्ट्रीकरण, मान्यता और विनियमन) अधिनियम, 2007 कहा जाएगा।

(2) यह 15 जून, 2007 को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 15 का निरसन

2—उत्तर प्रदेश क्रीड़ा (संघों का रजिस्ट्रीकरण, मान्यता और विनियमन) अधिनियम, 2005 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 11, सन् 2007 का निरसन

3—उत्तर प्रदेश क्रीड़ा (संघों का रजिस्ट्रीकरण, मान्यता और विनियमन) (निरसन) अध्यादेश, 2007 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

उद्देश्य और कारण

उत्तर प्रदेश क्रीड़ा (संघों का रजिस्ट्रीकरण, मान्यता और विनियमन) अधिनियम, 2005 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 15 सन् 2005) का अधिनियम उत्तर प्रदेश राज्य में क्रीड़ा संघों के रजिस्ट्रीकरण, मान्यता और विनियमन की व्यवस्था करने और क्रीड़ा संघों के क्रिया-कलापों और कार्य-कलापों को सुकर बनाने के लिये किया गया था। उक्त अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार यह विधिक बाध्यता थी कि प्रत्येक क्रीड़ा संघ क्रीड़ा निदेशालय में अपना रजिस्ट्रीकरण करायें। उक्त अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक से मात्र दस क्रीड़ा संघों द्वारा क्रीड़ा निदेशालय में अपना रजिस्ट्रीकरण कराया गया और शेष क्रीड़ा संघों द्वारा अपना रजिस्ट्रीकरण नहीं कराया गया। इसके अतिरिक्त उक्त अधिनियम के आशय और उपबन्धों का भी घोर विरोध किया जा रहा था। राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय ओलम्पिक संघ एवं अन्य क्रीड़ा फेडरेशनों द्वारा भी उक्त अधिनियम का विरोध किया जा रहा था। क्रीड़ा संघों के असहयोगात्मक रवैये के कारण प्रतियोगिताएं आयोजित कराने एवं टीमों के चयन में अवरोध उत्पन्न हो रहा था। अतएव यह विनिश्चय किया गया कि उक्त अधिनियम को निरसित कर दिया जाय।

चूँकि, राज्य विधान मण्डल सत्र में नहीं था और उक्त विनिश्चय को कार्यान्वित करने के लिये तुरन्त विधायी कार्यवाही करना आवश्यक था, अतः राज्यपाल द्वारा दिनांक 15 जून, 2007 को उत्तर प्रदेश क्रीड़ा (संघों का रजिस्ट्रीकरण, मान्यता और विनियमन) (निरसन) अध्यादेश, 2007 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 11 सन् 2007) प्रख्यापित किया गया।

यह विधेयक उपर्युक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिये पुरःस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,
वीरेन्द्र सिंह,
प्रमुख सचिव।

UTTAR PRADESH SARKAR
VIDHAYI ANUBHAG-1

No. 1292-LXXIX-V-1-07-1(Ka)30-2007
Dated Lucknow, July 18, 2007

NOTIFICATION

MISCELLANEOUS

IN pursuance of the provisions of clause (3) of article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Krida (Sanghon Ka Registrikaran, Manyata Aur Viniyaman) (Nirsan) Adhiniyam, 2007 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 14 of 2007) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on July 17, 2007 :—

THE UTTAR PRADESH SPORTS (REGISTRATION, RECOGNITION AND REGULATION OF ASSOCIATIONS) (REPEAL) ACT, 2007

[U.P. ACT No. 14 OF 2007]

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

AN

ACT

to repeal the Uttar Pradesh Sports (Registration, Recognition and Regulation of Association) Act, 2005.

IT IS HEREBY enacted in the Fifty-eighth Year of the Republic of India as follows:–

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Sports (Registration, Recognition and Regulation of Association) (Repeal) Act, 2007. Short title and commencement

(2) It shall be deemed to have come into force on June 15, 2007.

2. The Uttar Pradesh Sports (Registration, Recognition and Regulation of Association) Act, 2005 is hereby repealed. Repeal of U.P Act no. 15 of 2005

3. The Uttar Pradesh Sports (Registration, Recognition and Regulation of Associations) (Repeal), Ordinance, 2007 is hereby repealed. Repeal of U.P Ordinance no. 11 of 2007

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Uttar Pradesh Sports (Registration, Recognition and Regulation of Associations) Act, 2005 (U. P. Act no. 15 of 2005) was enacted to provide for registration, recognition and regulation of Sports Associations and to facilitate the activities and affairs of the Sports Associations in the State of Uttar Pradesh. In accordance with the provisions of the said Act it was legal obligation that every Sports Association should get itself registered in the Sports Directorate. From the date of commencement of the said Act only ten Associations got themselves registered in the Sports Directorate and the rest of associations did not get themselves registered. Besides the intention and the provisions of the said Act were being opposed vehementry. At the national level the Indian Olympic Association and other Sports Federations were also opposing the said Act. Due to the non-co-operating attitude of Sports Associations Organisation of competitions and selection of teams were being interrupted. It was, therefore, decided to repeal the said Act.

Since the State Legislature was not in session and immediate legislative action was necessary to implement the aforesaid decisions the Uttar Pradesh Sports (Registration, Recognition and Regulation of Sports Associations) (Repeal) Ordinance, 2007 (U. P. Ordinance no. 11 of 2007) was promulgated by the Governor on June 15, 2007.

This Bill is introduced to replace the aforesaid Ordinance.

By order,
VIRENDRA SINGH,
Pramukh Sachiv.

पी०एस०यू०पी०–ए०पी०–284 राजपत्र (हि०)–20 07–(768)–597 प्रतियां–(कम्प्यूटर/आफसेट)।
पी०एस०यू०पी०–ए०पी०–173 सा० विधायी–2007–(769)–850 प्रतियां–(कम्प्यूटर/आफसेट)।